	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 28, मंगलवार, शाके 1945-अप्रेल 18, 2023 *Chaitra 28, Tuesday , Saka 1945- April 18, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 17, 2023

संख्या प.5(01)**चिस्वा/ग्रुप-**3/2022 **:-**खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (34 of 2006) की धारा **37(2)** में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विभिन्न संवर्ग के भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली से प्रषिक्षण प्राप्त विभागीय कर्मचारियों को, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से नियमित नियुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के उपलब्ध होने अथवा एक वर्ष तक की अवधि जो भी पहले हो, तक के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (34 of 2006) की धारा **38** मे निहित प्रावधानों के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन करने हेतु अधिकृत किया जाता हैः-

क्रमं सं**0**	विभागीय कर्मचारी का नाम	मूल पद
1-	श्री अमित शर्मा	तकनीकी सहायक
2-	श्री नरेन्द्र शर्मा	वरिष्ठ लैब टैक्नीशियन
3-	श्री नन्द किशोर कुमावत	तकनीकी सहायक
4-	श्री अवधेश गुप्ता	तकनीकी सहायक
5-	श्री पवन कुमार गुप्ता	वरिष्ठ तकनीकी सहायक

उक्त समस्त विभागीय कर्मचारी द्वारा निम्न शर्तो के अध्याधीन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित करेंगें।

1. खाद्य शक्तियां प्रदत्त करना एवं उन्हें प्रत्याहरित किये जाने का अधिकार पूर्णतया राज्य सरकार का होगा अर्थात खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद के लिये उपरोक्त विभागीय कर्मचारी किसी भी प्रकार के न्यायिक लाभ (Judicial/Quasi Judicial Benifit) के हकदार नहीं होंगें।
2. उपरोक्त समस्त विभागीय कर्मचारी अपने मूल पद के वेतनमान पर ही राज्य कार्य करेंगे, इन्हें किसी प्रकार की कोई वेतन विसंगति का लाभ देय नही होगा।

3. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से नियमित नियुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपलब्ध होने के पश्चात उपरोक्त कर्मचारियों को अपने मूल पद पर भेज दिया जावेगा।

4 उक्त कर्मचारियों के स्थानीय कार्यक्षेत्र आवंटन के आदेष पृथक से जारी किये जावेंगें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।